

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय-सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

कल्याणपुर थाना काण्ड सं० 260/20, कम्प्यूटर निबंधन सं० 1106/20

16.8.21

आवेदक 1.रौशन कुमार, पिता-रामचन्द्र राय, ग्राम-मुक्तापुर, थाना-कल्याणपुर,

जिला-समस्तीपुर, जो कल्याणपुर थाना काण्ड सं० 260/20, धारा-30(a), 41(i)(ii) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत दिनांक 6.6.21 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनी रंजन के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनके पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उनका कोई संबंध नहीं है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फँसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उनके विरुद्ध नहीं बनती है। आवेदक बी०ए० का छात्र है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 6.6.21 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि० लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं उसके भाई के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी के क्रम में आवेदक अभियुक्त के घर के पीछे टाट के पास से कुल 28.125 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। वह दिनांक 6.6.21 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त 1.रौशन कुमार को मो० 10,000/-रु०(दस हजार)रु० के बंध-पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। एक जमानतदा अभियुक्त का निकटतम संबंधी होगा। कोविड-19 महामारी के लाकडाउन के कारण प्रतिभूति, व्यक्तिगत उपस्थित न होकर स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ इस आशय का वचन पत्र देगा, कि वह आवेदक अभियुक्त का जमानतदार होना स्वीकार करता है और लाकडाउन अवधि समाप्त होने के 10 दिनों के अन्दर-अन्दर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बंध-पत्र को सम्पुष्ट करेगा। प्रतिभूति, अपनी जायदाद के कागजात के साथ अभियुक्त का नाम, पता, केस नम्बर, और अभियुक्त से अपने संबंध का उल्लेख रहेगा, के साथ टपतजनंस भ्रंतपदह थंबसपजंजवत। चचेणपर डालेगा। साथ ही अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(लेखापित)

सह वि० न्या०उत्पाद

18.8.21

उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से बंध-पत्र दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

